

सरकार

अनुलग्नक-1

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकरण का नाम एवं पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की ओर से प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र संख्या \_\_\_\_\_

तिथि: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ वर्ष के लिए वैध

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ के/की पुत्र/पुत्री/पत्नी \_\_\_\_\_ गाँव/गली \_\_\_\_\_ डाक खाना \_\_\_\_\_ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_ के/की स्थायी निवासी हैं, जिनका/जिनकी फोटो नीचे संलग्न है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित हैं क्योंकि वित्तीय वर्ष \_\_\_\_\_ के लिए इनके/इनकी परिवार\*\* की सकल वार्षिक आय\* 8 लाख रुपये (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। उनका/उनके एवं उनके परिवार का निम्नलिखित परिसंपत्तियों पर कोई स्वामित्व नहीं है\*\*\* :

- I. 5 एकड़ या अधिक की कृषि भूमि;
- II. 1000 वर्ग गज या अधिक का आवासीय फ्लैट;
- III. अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
- IV. अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ जो कि \_\_\_\_\_ जाति से संबंध रखते/रखती हैं जो कि केंद्र की सूची में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत नहीं है।

कार्यालय मोहर सहित हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट  
आकार का सत्यापित फोटो

नाम \_\_\_\_\_

पदनाम \_\_\_\_\_

\* टिप्पणी 1: आय के अंतर्गत आय के सभी प्रकार के स्रोत जैसे वेतन, कृषि, व्यापार, व्यवसाय आदि आएंगे।

\*\* टिप्पणी 2: इस प्रयोजन के लिए "परिवार" शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन तथा उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं।

\*\*\* टिप्पणी 3 : ईडब्ल्यूएस की स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति की जांच करते समय, एक "परिवार" द्वारा विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में रखी गई संपत्ति को एक साथ जोड़ दिया गया है।